Lucknow IAS Academy

LiA

सत्यमेव जयते

शेरशाह सूरी व सूर साम्राज्य

शेरशाह सूरी व सूर साम्राज्य

शेरशाह का वास्तविक नाम फरीद खां था। शेरशाह अफगानिस्तान के सूर नामक कबीले का रहने वाला था। उसका पिता हसन बिहार में एक जागीरदार था। शेरशाह का जन्म 1472 ई. में हुआ था। युवा होने पर शेरशाह को जौनपुर के सूबेदार जुनैद की सहायता से बाबर के यहां नौकरी मिल गई। 1528 ई. तक मुगलों के अधीन काम करने के पश्चात् उसने बिहार के सुल्तान मुहम्मद के यहां कार्य करना प्रारम्भ कर दिया।

कुछ समय पश्चात् सुल्तान मोहम्मद की मृत्यु हुई। उसका पुत्र जलाल खां नाबालिग था, अतः शेरशाह को उसका संरक्षक नियुक्त किया गया। इस पद पर कार्य करते हुए शेरशाह ने कूटनीति एवं प्रशासन का अनुभव प्राप्त किया जो भविष्य में उसके लिए लाभकारी प्रमाणित हुआ।

शेरशाह के युद्ध

(1) बंगाल के साथ युद्ध (1529 ई.)- शेरशाह के बढ़ते हुए प्रभाव को देखकर लोहानी सरदारों ने बंगाल के शासक नसरतशाह को बिहार पर आक्रमण करने के लिए प्रेरित किया। नसरतशाह ने 1529 ई. में बिहार पर आक्रमण किया, किन्तु शेरशाह ने नसरतशाह को परास्त कर दिया। इस प्रकार शेरशाह बिहार का शासक बन गया।

(2) चुनार पर अधिकार (1530 ई.)- चुनार पर इब्राहिम लोदी के सूबेदार ताज खां का अधिकार था। चुनार के ही किले में इब्राहिम लोदी ने शाही खजाना रखा हुआ था। इस कारण शेरशाह चुनार के किले पर अधिकार करना चाहता था। चुनार का किला उस समय अभेध माना जाता था, अतः शेरशाह ने चुनार पर अधिकार करने के लिए कूटनीति का सहारा लिया। चुनार का सूबेदार अपनी पत्नी लाड़ मलिका के प्रभाव में था। ताज खां की उसके सौतेले पुत्र ने हत्या कर दी। इस अवसर का लाभ उठाते हुए शेरशाह ने मलिका से विवाह कर लिया। इस प्रकार उसका न केवल चुनार के किले पर अपितु शाही खजाने पर भी अधिकार हो गया।

(3) बंगाल का अभियान (1534 ई.) शेरशाह ने बंगाल पर आक्रमण किया। इस युद्ध से शेरशाह को अपार धन-सम्पत्ति प्राप्त हुई।

(5) हुमायूं पर विजय हुमायूं को जब शेरशाह सूरी की निरन्तर विजयों की सूचना मिली तो वह चिन्तित हो उठा तथा उसने शेरशाह को परास्त करने के लिए शक्तिशाली सेना के साथ प्रस्थान किया। चुनार के दुर्ग पर विजय प्राप्त करने में हुमायूं को अत्यधिक समय लगा। इसी बीच गौड़ के दुर्ग पर शेरशाह का अधिकार हो गया। इस प्रकार हुमायूं बंगाल के खजाने से वंचित रह गया। दोनों के मध्य बिलग्राम (कन्नौज) नामक स्थान पर 1540 ई. में निर्णायक युद्ध हुआ। इस युद्ध में भी हुमायूं परास्त हुआ व भारत छोड़कर भागने पर विवश हुआ तथा उसके साम्राज्य पर. शेरशाह का आधिपत्य स्थापित हो गया।

इस प्रकार बिलग्राम के युद्ध में विजय प्राप्त करके 1540 ई. में शेरशाह सूरी दिल्ली व आगरा का शासक बन गया व 68 वर्ष की आयु में 1540 ई. में उसका राज्याभिषेक किया गया।

शासक बनने के पश्चात् शेरशाह की विजयें

शेरशाह सूरी 1540 ई. में दिल्ली के राजसिंहासन पर बैठा। शासक बनने के पश्चात् उसकी प्रमुख सैन्य उपलब्धियां थीं :

(1) गक्खड़ विजय शासक बनने के पश्चात् शेरशाह ने सर्वप्रथम उत्तर-पश्चिमी सीमा प्रान्त की ओर ध्यान दिया जहां झेलम व सिन्धु नदी के मध्य गक्खड़ों (Gakkars) का निवास था। गक्खड़ों के व्यवहार से क्रोधित होकर शेरशाह ने गक्खड़ों पर आक्रमण कर उन्हें परास्त किया।

(**2) बंगाल में विद्रोह**-जिस समय शेरशाह गक्खड़ों पर विजय प्राप्त करने में व्यस्त था बंगाल के सूबेदार खिज्र खां ने विद्रोह कर स्वतन्त्र राजसत्ता की स्थापना कर ली। शेरशाह तुरन्त बंगाल पहुंचा व 1541 ई. में उसने खिजखां को बन्दी बना लिया।

(4) मालवा पर विजय शेरशाह ने मालवा पर 1541 ई. में आक्रमण किया। शेरशाह के मालवा पहुंचने पर कादिरशाह ने समर्पण कर दिया। शेरशाह ने मालवा पर अधिकार करके सुजातखां को मालवा का सूबेदार नियुक्त किया।

(5) रायसिन विजय-1543 ई. में शेरशाह ने पूरनमल से समझौता कर लिया, किन्तु विश्वासघात करते हुए शेरशाह ने पूरनमल व बड़ी संख्या में राजपूतों को मौत के घाट उतार दिया। इस प्रकार "शेरशाह ने रायसिन के दृढ़ किले को जीत लिया।

(6) रणथम्भौर पर विजय शेरशाह ने रणथम्भौर पर अधिकार करके वहां आदिलशाह को सूबेदार नियुक्त किया।

(7) सिन्ध व मुल्तान विजय: सिन्ध व मुल्तान पर शेरशाह के सेनापति हैवत खां ने 1543 ई. में अधिकार किया।

(8) मारवाड़ विजय मारवाड़ का शासक मालदेव था जो अत्यन्त शक्तिशाली एवं पराक्रमी था।1544 ई. में शेरशाह ने उस पर आक्रमण किया और नागौर, अजमेर, जोधपुर व मारवाड़ पर अधिकार कर लिया।

(9) चित्तौड़ विजय- 1544 ई. में ही शेरशाह ने चित्तौड़ पर आक्रमण किया। चित्तौड़ की आन्तरिक स्थिति उस समय शोचनीय थी, अतः चित्तौड़ पर आसानी से शेरशाह का अधिकार हो गया। चित्तौड़ के पश्चात् शेरशाह ने जयपुर पर भी विजय प्राप्त की। इस प्रकार लगभग सम्पूर्ण राजपूताना पर उसका अधिकार हो गया।

(10) कालिंजर पर विजय अन्त में, शेरशाह ने नवम्बर 1545 ई. में कालिंजर के किले का घेरा डाला। शेरशाह ने किले पर बारूदी गोलों से प्रहार करने का निर्णय किया, किन्तु 22 मई, 1545 ई. को जब वह बारूदी गोलों का निरीक्षण कर रहा था तब एक गोले के उसके समीप ही टकराकर फटने से वह गम्भीर रूप से घायल हो गया, किन्तु फिर भी कालिंजर पर अधिकार करने में वह सफल रहा परन्तु 22 मई, 1545 ई. को उसकी मृत्यु हो गयी।

शेरशाह की शासन-व्यवस्था

शेरशाह सूरी की गणना मध्यकालीन भारत के महानतम शासकों में की गयी है। इसका कारण शेरशाह उसके द्वारा उच्चकोटि की शासन-व्यवस्था की स्थापना किया जाना था।

शेरशाह के शासन प्रबन्ध के प्रमुख तत्व

1. केन्द्रीय शासन
2. प्रान्तीय प्रशासनिक व्यवस्था
3. भूमिकर व्यवस्था
4. न्याय व्यवस्था
5. जनरक्षा प्रशासन
6. गुप्तचर विभाग
7. सैन्य व्यवस्था
8. मुद्रा व्यवस्था
9. व्यापार एवं वाणिज्य
10. सार्वजनिक कार्य।

1: केन्द्रीय शासन- शेरशाह सूरी ने केन्द्रीय प्रशासनिक व्यवस्था की स्थापना की जिसमें सम्पूर्ण शक्ति राजा में ही निहित थी। उसने कुछ विभागों की स्थापना की जैसे दीवान-ए-विजारत, दीवान-ए-आरिज, दीवान-ए-रसालत, दीवान-ए-इंशा, दीवान-ए-काजी, दीवान-ए-वरीद आदि।

(i) दीवान-ए-विजारत (अर्थ विभाग)- इस विभाग का प्रमुख वजीर था। उसका प्रमुख कार्य राज्य की आय एवं व्यय का हिसाब रखना था। अन्य विभागों के मन्त्रियों के कार्यों का निरीक्षण करने का अधिकार भी उसे प्राप्त था। इसकी स्थिति प्रधानमन्त्री के समान थी।

(ii) दीवान-ए-आरिज (सैन्य विभाग)- इस विभाग का अध्यक्ष **'आरिज-ए-मुमालिक'** कहलाता था। इसका प्रमुख कार्य सेना की भर्ती, रसद और संगठन से सम्बन्धित था। वह सेना के अनुशासन तथा वेतन आदि कार्यों को भी देखता था। शेरशाह स्वयं इस विभाग में बड़ी रुचि लेता था।

(iii) दीवान-ए-रसालत (विदेश विभाग)- इस विभाग का प्रमुख विदेशमन्त्री के समान कार्य करता था। वह विदेशी राजदूतों का स्वागत करता और अन्य राज्यों से पत्र-व्यवहार करता था।

(iv) दीवान-ए-इंशा (सामान्य प्रशासन विभाग) - इस विभाग के प्रमुख को **'दबीर-ए-खास'** कहते थे। यह साम्राज्य के अन्दर सभी प्रकार के पत्र-व्यवहार एवं आदेशों को भेजने का कार्य करता था। सूबेदारों एवं अन्य अधिकारियों से वह उन पत्रों को प्राप्त करता था जो सम्राट के लिए भेजे जाते थे।

(v) दीवान-ए-काजी (न्याय विभाग)- इस विभाग का प्रमुख अधिकारी मुख्य काजी होता था। वह न्यायिक कार्यों को सम्पन्न करता था एवं प्रान्तीय काजियों की अपीलें भी सुनता था।

(vi) दीवान-ए-वरीद (गुप्तचर विभाग)- इस विभाग का अध्यक्ष **'वरीद-ए-मुमालिक'** कहलाता था। इसका कार्य साम्राज्य के विभिन्न भागों से गुप्तचरों की रिपोर्टों को प्राप्त करना था। डाक का प्रबन्ध भी यही विभाग करता था।

2. प्रान्तीय प्रशासनिक व्यवस्था- शेरशाह ने अपने साम्राज्य को अनेक प्रान्तों में विभक्त कर रखा था, जिन्हें **'इक्ता'** (Iqtas) कहा जाता था। प्रत्येक इक्ता का सर्वोच्च अधिकारी सूबेदार होता था। प्रान्त के अधिकारी अपने समस्त कार्यों के लिए राजा के प्रति उत्तरदायी थे।

(i) जिला (सरकार) प्रशासन- प्रत्येक प्रान्त पुनः अनेक जिलों में विभक्त होता था, जिन्हें 'सरकार' कहा जाता था। प्रत्येक सरकार में दो प्रमुख अधिकारियों की नियुक्ति की जाती थी जिन्हें शिकदार-ए-शिकदारान व मुन्सिफ-ए-मुन्सिफान कहते थे। इनमें से शिकदार का कार्य सरकार में सामान्य प्रशासन करना था। मुन्सिफ का कार्य न्याय करना था।

(ii) परगनों का शासन प्रबन्ध- प्रत्येक सरकार अनेक परगनों में विभक्त होती थी। प्रत्येक परगना अनेक ग्रामों से मिलकर बनता था। परगने के प्रमुख अधिकारी शिकदार (सैनिक अधिकारी), अमीन, फोतदार (खजांची) एवं कारकुन होते थे।
(iii) गांव का शासन प्रबन्ध- प्रत्येक गांव शासन की स्वयं एक इकाई था। गांव के प्रशासन के लिए 'मुकदम' होता था। गांव की अपनी पंचायत भी होती थी। जो गांव में सुरक्षा, शिक्षा, सफाई आदि का प्रबन्ध करती थी। इस प्रकार शेरशाह ने गांव की परम्परागत व्यवस्थाओं में कोई परिवर्तन नहीं किया, परन्तु गांव के अधिकारियों को अपने कर्तव्यों का पालन करना पड़ता था अन्यथा उनको दण्डित किया जाता था।

3. भूमि कर-व्यवस्था- शेरशाह के शासनकाल की सर्वप्रमुख विशेषता उसके द्वारा भूमि कर-प्रणाली में सुधार किया जाना थी। शेरशाह ने अपनी युवावस्था में जागीर का प्रबन्ध करते समय किसानों की समस्या को समझा था। अतः शासक बनने के पश्चात् भूमि व्यवस्था को सुधारने के लिए उसने अनेक कार्य किए। उसने राज्य की भूमि का वास्तविक नाप कराया। उगान निश्चित करने के लिए भूमि का वर्गीकरण तीन भागों में किया गया था: उत्तम, मध्यम व निम्न। इन तीनों श्रेणियों के उत्पादन का औसत निकाला गया और उसका 1/3 भाग मालगुजारी के रूप में निश्चित कर दिया गया। लगान निश्चित करते समय अधिकारियों को उदारता व वसूल करते समय कठोर नीति का पालन करने के आदेश दिए गए थे।

शेरशाह ने प्रत्येक सरकार (जिले) में **शिकदार-ए-शिकदारान तथा मुन्सिफ** नियुक्त किए थे जिनका कार्य यह देखना होता था कि किसानों का उत्पीड़न न हो व आमिल (लगान वसूलने वाला अधिकारी) उन्हें तंग न करे।

शेरशाह के प्रबन्ध में जमींदारों का कोई स्थान न था, क्योंकि उसने प्रत्येक किसान से सीधा 'कबूलियत' (इकरारनामा) किया था जिसकी तुलना आधुनिक **'रैयतबाड़ी (Ryotwari) बन्दोबस्त'** से की जा सकती है।

4. न्याय-व्यवस्था शेरशाह की कठोर दण्ड-व्यवस्था एवं न्याय-व्यवस्था के कारण उसके राज्य में अपराध बहुत कम होते थे। शेरशाह सूरी का न्याय के विषय में कहना था, **"न्याय करना सभी धार्मिक क्रियाओं में सर्वोत्तम है। इस बात को मुसलमान व काफिर दोनों के राजा मानते हैं।"** उसने आगे कहा था, **"न्याय यह नहीं है कि अन्याय न किया जाए, बल्कि वादियों के साथ निष्पक्षता और ईमानदारी से व्यवहार करना है।"** इस प्रकार शेरशाह न्याय करते समय गरीब अमीर अथवा सम्मानित और साधारण व्यक्ति में कोई अन्तर नहीं करता था। न्याय का सर्वोच्च अधिकारी वह स्वयं ही था। इसके अतिरिक्त प्रत्येक प्रान्त, सरकार व परगने में भी न्यायिक अधिकारियों की उसने नियुक्ति की थी।

5. जनरक्षा प्रशासन जनता की रक्षा करने के लिए पुलिस का कार्य सैनिक अधिकारी ही करते थे। प्रत्येक **'सरकार' (जिले)** में **शिकदार** का यह कर्तव्य था कि वह जनता की रक्षा की व्यवस्था करे। गांवों में इस कार्य का उत्तरदायित्व **मुकद्दम** का होता था।

6. गुप्तचर विभाग शेरशाह ने अत्यन्त उच्चकोटि की गुप्तचर व्यवस्था की स्थापना की। गुप्तचरों का प्रमुख कार्य राज्य की छोटी-से-छोटी घटनाओं की सूचना राजा को देना था। जो भी गुप्तचर महत्वपूर्ण सूचनाएं समय पर नहीं भेज पाता था, उसे दण्डित किया जाता था। प्रत्येक सराय में दो घोड़े सूचना देने वालों के प्रयोग के लिए रहते थे जिससे एक वाहक को निरन्तर स्थान-स्थान पर नवीन घोड़ा मिलता जाए और वह तीव्र गति से यात्रा कर सके। अपने गुप्तचरों और तीव्र गति से चलने वालों सन्देश-वाहकों के कारण शेरशाह अपने सम्पूर्ण राज्य के शासन पर नियन्त्रण रखता था और उसमें वह सफल था। बहुत से अवसरों पर जो सूचनाएं उसके सूबेदारों या स्थानीय अधिकारियों को भी नहीं मिल पाती थीं, वे शेरशाह के पास पहले पहुंच जाती थीं।

7. सैन्य व्यवस्था बादशाह स्वयं सेनापति होता था तथा सेना का वेतन चुकाता था। शेरशाह ने अलाउद्दीन के समान घोड़ों को दागने की प्रथा को अपनाया। शेरशाह ने अपनी सेना को साम्राज्य के विभिन्न भागों में आवश्यकतानुसार विभाजित कर रखी था। इस प्रकार की कुल 16 छावनियों के विषय में जानकारी मिलती है।

8. मुद्रा व्यवस्था शेरशाह ने पुराने सिक्कों को बन्द कराके तांबे एवं चांदी के नए सिक्के चलवाए, जिन्हें क्रमशः 'दाम' एवं 'रुपया' कहते थे। चांदी का **'रुपया'** एवं तांबे के **'दाम'** में 1: 64 का अनुपात था। इसके चांदी के रुपए का वजन 180 ग्रेन था जिसमें 175 ग्रेन शुद्ध चांदी थी इस प्रकार उच्च श्रेणी की मुद्रा व्यवस्था शेरशाह ने लागू की। एडवर्ड टॉमस प्रशंसा करते हुए लिखते हैं कि **"मुगलों ने भी शेरशाह के मुद्रा सुधारों को अपनाया था।"**

9. व्यापार एवं वाणिज्य-किसानों की स्थिति सुधारे जाने से देश की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ हुई, जिससे व्यापार एवं वाणिज्य को प्रोत्साहन मिला। मुद्राओं में सुधार करने के कारण भी व्यापार को बढ़ावा मिला।

10. सार्वजनिक कार्य शेरशाह सूरी ने अपने शासनकाल में अनेक सार्वजनिक कार्य भी किए। शेरशाह के द्वारा बनवायी गयी सड़कों में प्रमुख कलकत्ते से पेशावर तक की सड़क है। शेरशाह ने मार्गों के किनारे 1700 सराएं बनवायीं तथा जगह-जगह पानी, वृक्ष व मस्जिदों की व्यवस्था करवाई। इन सरायों

में डाक ले जाने वाले हरकारे उपस्थित रहते थे। डाक पैदल व घुड़सवार दोनों के द्वारा भेजी जाती थी।

शेरशाह की प्रशासनिक व्यवस्था समय के अनुकूल व उच्चकोटि की थी। प्रशासन के प्रत्येक क्षेत्र में व्यक्तिगत रुचि लेने के कारण शेरशाह इतनी सक्षम प्रशासनिक व्यवस्था की स्थापना करने में सफल रहा। उसने इस प्रकार की प्रशासनिक व्यवस्था की स्थापना की जिससे उसकी जनता का भला हो सके व साम्राज्य आर्थिक रूप से सम्पन्न हो सके।

शेरशाह के उत्तराधिकारी एवं सूर-वंश का पतन

शेरशाह की मृत्यु 1545 ई. में हुई। उसके उत्तराधिकारी दुर्भाग्यवश योग्य न थे, अतः उसका साम्राज्य शीघ्र ही पतन की ओर अग्रसर हो गया।

शेरशाह के पश्चात् उसका पुत्र जलाल खां 26 मई, 1545 ई. को 'इस्लाम शाह' के नाम से सिंहासन पर बैठा। इसकी सूचना जब शेरशाह के बड़े पुत्र आदिल खां को मिली तो वह रणथम्भौर दुर्ग से तुरन्त आगरा पहुंचा, जहां धोखे से उसकी हत्या करने का प्रयल इस्लामशाह द्वारा किया गया, किन्तु आदिल खां भाग निकला। कुछ समय पश्चात् आदिल खां ने अनेक अमीरों से मदद लेकर आगरा पर आक्रमण किया, किन्तु इस्लामशाह ने उसे परास्त कर दिया। तत्पश्चात् उसनें अमीरों का भी दमन किया।

30 अक्टूबर, 1553 ई. को इस्लामशाह की मृत्यु हो गई। उसके पश्चात् उसका पुत्र फिरोजशाह शासक बना, जो मात्र 12 वर्ष का था। फिरोज की हत्या उसके मामा मुबारिज खां ने कर दी तथा राज्य पर अधिकार कर लिया। मुवारिज खां 'मुहम्मद आदिलशाह' के नाम से शासक बना। आदिलशाह अत्यन्त विलासी शासक था, अतः उसके बहनोई अहमद खां ने विद्रोह कर दिया व आगरा पर अधिकार करके 1554 ई. में 'सिकन्दरशाह' के नाम से शासक बना। सिकन्दरशाह के समय में ही उसका राज्य पांच भागों में विभक्त हो गया। इस प्रकार अराजकता का लाभ उठाते हुए हुमायूं ने भारत पर आक्रमण किया व 22 जून, 1555 ई. को सरहिन्द के युद्ध में उसने सिकन्दरशाह को परास्त किया व दिल्ली पर अधिकार कर लिया। इस प्रकार भारत में सूर वंश का पतन हुआ व मुगलवंशीय शासन की पुनर्स्थापना हुई।

महत्वपूर्ण तिथियां एवं घटनाएं

- 1472 ई. शेरशाह का जन्म।
- 1539 ई. चौसा का युद्ध।
- 1541 ई.बंगाल विजय।
- 1542 ई. मालवा एवं रणथम्भौर विजय।
- 1543 ई. रायसिन विजय।
- 1544 ई.शेरशाह सूरी की मृत्यु।
- 1545 ई. कालिंजर पर आक्रमण

Lucknow IAS Academy

Lucknow IAS Academy

LiA

Lucknow IAS Academy

Join our telegram channel